न्यायालय, मुंसिफ, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद–48 / 2020

नागेश्वर राय.....................................वादी

बनाम

महेन्द्र प्रसाद [illegible]...प्रतिवादीगण

02.07.22 वादी की हाजरी है। वादी अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय उपस्थित हुए। वादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस वाद के वादी नागेश्वर राय की मृत्यु दिनांक–12.01.2022 को हो गई थी और न्यायालय के द्वारा भी दिनांक–16.06.2022 के आदेशानुसार वादी नागेश्वर राय का नाम विलोपित करते हुए वादी के वारिसान का नाम प्रतिस्थापित करने का आवेदन स्वीकृत किया जा चुका है तथा प्रतिवादीगण की ओर से इस पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। कार्यालय उक्त आदेश का पालन करते हुए वादी के वारिसान का नाम वादी कॉलम में प्रतिस्थापित करें।

वादी के वारिसान की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि वादी के द्वारा दाखिल वादपत्र को ही वादी के वारिसान का वादपत्र माना जाए। सुना, निवेदन स्वीकार किया गया।

दिनांक– 21-7-22 वास्ते निर्धारण वाद–विषय हेतु।

मुंसिफ,
शाहपुर पटोरी